मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / F 44-4/2018/ 20-2 भोपाल, दिनांक 08-02-2018

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर्स म.प्र..
2 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.
3 समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश.
4 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र..
5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
6 समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.
7 समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी / नगर परिषद् म.प्र.

विषय : स्कूल शिक्षा विभाग के मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफार्म "एम-शिक्षामित्र" के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत

स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों, योजनाओं एवं सभी स्टेक होल्डर्स यथा विद्यार्थियों, पालकों, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों, शिक्षको, अधिकारियों, कार्यालय प्रमुखों, कर्मचारियों इत्यादि को विभागीय जानकारीयां, सूचनाएँ एवं ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने का कार्य एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है |

2. इन्टरनेट-युक्त स्मार्ट फ़ोन की सहज उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाएँ / सेवायों को चरणबद्ध रूप से एप्प के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए NIC के सहयोग से "m-Shiksha-Mitra" एप्प को एम् - गवर्नेंस प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है | एप्प के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं (स्टेक होल्डर्स) को विभाग से सम्बंधित सेवायें और सुविधाएँ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास है |

एम-शिक्षा मित्र के माध्यम से निम्न सुविधाएँ क्रमबद्ध रूप से प्रदान की जायेगी

- सभी शालाओं की प्रोफाइल, नामांकन, पदस्थ शिक्षक/अमला, सुविधाएं, अधोसरंचना, लोकेशन, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की सूची, शाला को राज्य स्तर से जारी प्राप्त राशियाँ / फंड्स इत्यादि
- पे-स्लिप, अवकाश आवेदन पंजीयन, ई-सेवा पुस्तिका, शिक्षको की विभागीय एवं सेवा सम्बंधित शिकायतों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग
- राज्य, संभाग, जिला, ब्लाक एवं संकुल स्तर के कार्यालयों द्वारा जारी आदेश / सर्कुलर्स.
- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी
- विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि का स्टेटस ट्रैकिंग, विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रमोशन इत्यादि
- अधिकारियों / शिक्षकों / विद्यार्थियों / कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति
- किसी भी स्थान के पास संचालित सभी स्कूल का मेप पर प्रदर्शन.
- निशुल्क SMS
- RTE: मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के मान्यता का विवरण, विद्यार्थियों को ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से विद्यालयों में आवंटित सीट, नोडल आधिकारी द्वारा सत्यापन, विद्यालय द्वारा सत्यापित विद्यालयों की एडमिशन रिपोर्टिंग.
- सभी स्तर के कार्यालयों के लिए मोनिटरिंग रिपोर्ट्स
- ज्ञान पिटारा

3. एम-शिक्षा मित्र एप का उपयोग तत्काल प्रभाव से विभागान्तर्गत सभी कार्यालयों और विद्यालयों में प्रारंभ किया जाये | दिनांक 31 मार्च 2018 तक सभी अधिकारी / कर्मचारी एवं शिक्षक इसे प्रायोगिक तौर पर उपयोग करें | 1 अप्रैल 2018 से इसका उपयोग आवश्यक रूप से किया जावेगा एवं इसी एप के द्वारा प्राप्त उपस्थिति एवं जानकारी के आधार पर वेतन जनरेट किया जायेगा | इस व्यवस्था को स्थापित करने हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है :

   i. एप्प के उपयोग के लिए सभी शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक अधिकारियों / कर्मचारियों के मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट होना आवश्यक हैं | सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक (SSA / RMSA), मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट संकुल प्रभारी से कराने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे |
   ii. वर्तमान में पोर्टल पर सभी एम्प्लोयी के स्वयं के लॉग इन पर मोबाइल एवं आधार अपडेट कराने की प्रक्रिया प्रचलन में है | एम्प्लोयी द्वारा जानकारी भरने के उपरांत संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित की जाएगी |
   iii. मोबाइल एप के उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण की कार्यवाही जनवरी के अंतिम सप्ताह में की जाएगी जिसके निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे |
   iv. सभी पर्यवेक्षण अधिकारी (संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक) प्रतिदिन न्यूनतम १० शिक्षकों / अध्यापकों से उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर संपर्क कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मोबाइल का उपयोग उसी शिक्षक / कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, जिसके नाम से मोबाइल पंजीकृत है.
   v. जिला स्तर पर जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ प्रोग्रामर जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी होंगे | जिले में एप्प के क्रियान्वयन हेतु DIO, NIC का सहयोग लिया जायेगा | किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला स्तर पर संपर्क किया जाये | इस हेतु जिला स्तरीय help desk हेतु दूरभाष क्रमांक एवं ईमेल सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित करें | यदि किसी समस्या का समाधान राज्य स्तर से आवश्यक हो तो जिले द्वारा दूरभाष क्र. 0755-2600115 पर संपर्क करें अथवा m-shikshamitra@mp.gov.in पर ईमेल किया जाये |

4. विभागीय अधिकारियों/ शिक्षकों/ कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण : विभाग अंतर्गत सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों एम्प्लोयी को अपने स्वत्व एवं स्थापना आदि से जुडी समस्या की शिकायत के लिए इसी एप्प का उपयोग किया जा सकेगा | एप्प अंतर्गत सभी एम्प्लोयी के लॉग इन में व्यवस्था दी गयी है जिसके माध्यम से शिकायत का विवरण box में लिखा जा सकता है और दस्तावेज की फोटो संलग्न की जा सकेगी| शिकायत पंजीबद्ध होने के बाद एक शिकायत क्रमांक प्राप्त होगा जिससे निराकरण का स्टेटस एजुकेशन पोर्टल पर देखा जा सकेगा| शिकायत के निराकरण के लिए सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन में प्रावधान किया गया है | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायत का निराकरण एजुकेशन पोर्टल पर इस यूआरएल पर जाकर किया जाएगा [http://educationportal.mp.gov.in/Shikayat/Public/Grievance_Main.aspx]

5. शिक्षा-मित्र एप को व्यवस्थित व समय सीमा में क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे | शिक्षक / कर्मचारी के उपस्थिति अथवा अवकाश दर्ज करने के लिए स्वयं के नाम पंजीकृत मोबाइल का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने पर इसे कदाचरण मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी | अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं

छात्रों की उपस्थिति से संबंधित जिलावार, ब्लाकवार, संस्थावार रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी जिसकी मानिटरिंग वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी | जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भी अपने स्तर पर दैनिक समीक्षा करेंगे | उक्त एप्प के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के दायित्व परिशिष्ट १ अनुसार है | एप्प के उपयोग हेतु विस्तृत तकनीकी निर्देश एवं आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी किये जायेंगे |

8/2/2018

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल दि. 8/2/18

क्र. एफ 44-4/2018/20-2

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री म.प्र.शासन भोपाल
2. निज सचिव, मान राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
6. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुडा भवन भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना केंद्र विंध्यांचल भवन भोपाल
8. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC , विंध्यांचल भवन भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

8/2/2018

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट -१

शिक्षक / कर्मचारी / अधिकारी के दायित्व :-

- सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर स्वयं के लॉग इन से एजुकेशन पोर्टल पर / संकुल प्राचार्य के माध्यम से दर्ज/ अपडेट कराना सुनिश्चित करें |
- प्रत्येक शिक्षक को शाला में दैनिक उपस्थिति एवं अवकाश की सूचना ई-अटेंडेंस सर्वर को प्रेषित करना अनिवार्य है |
- एम-शिक्षा मित्र मोबाइल एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जायेगा | यदि पूर्व से एम-शिक्षा मित्र मोबाइल एप इनस्टॉल है तो सर्वप्रथम उसे uninstall करने के पश्चात पुनः लेटेस्ट वर्शन डाउनलोड किया जाये |
- प्रथम वार लॉग इन करते समय नेट- कनेक्टिविटी आवश्यक होगी |
- दैनिक उपस्थिति नेट कनेक्टिविटी नहीं होने पर भी दर्ज होगी | जैसे ही मोबाइल नेट-कनेक्टिविटी एरिया में आयेगा उपस्थित सर्वर को ऑटोमेटिकली प्रेषित हो जाएगी |
- ऑफ-लाइन उपस्थिति दर्ज करने पर जिस समय उपस्थिति दर्ज की जाएगी वही समय उपस्थिति में दर्ज होगा अतः सही समय पर ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें |
- उपस्थिति एवं अवकाश की सूचना ई-अटेंडेंस सर्वर पर दर्ज होने की जानकारी संबंधित के पास SMS के माध्यमं से पहुँच जावेगी |
- शिक्षक को अवकाश सम्बन्धी लिखित आवेदन शाला प्रभारी को भी प्रस्तुत करना होगा |

प्राचार्य / हेडमास्टर / शाला प्रभारी / बी.ई.ओ. / बी.आर.सी. / DDO के दायित्व :

- सभी शिक्षकों के मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज हों यह सुनिश्चित करना |
- सभी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस सिस्टम एवं मोबाइल एप की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना |
- किसी शिक्षक / कर्मचारी के पास मोबाइल एप की सुविधा / उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रमुख के द्वारा तय समय में अपने शाला अंतर्गत शिक्षक की उपस्थिति मोबाइल एप के आप्शन "सहकर्मियों की उपस्थिति" के माध्यम से दर्ज कराना | इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होती है तो इसका दायित्व संस्था प्रमुख का होगा |
- विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रमोशन